भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2406

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

वंचित समुदायों पर योजनाओं के प्रभाव

2406. श्री शशांक मणिः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाशिए पर स्थित समुदायों के सामाजिक न्याय के प्रयोजनार्थ बनाई गई योजनाओं तथा पहलों और विशेषकर उत्तर प्रदेश में उनके कल्याण और सशक्तिकरण पर इनके प्रभाव को रेखांकित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जिले-वार योगदान क्या है;

(ग) क्या ये सामाजिक न्याय संबंधी पहल निधि के उपयोग में जवाबदेही और शासन में पारदर्शिता के प्रावधानों को एकीकृत करती है और यदि हां, तो क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या सरकार के पास इन योजनाओं तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने और ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में उनकी प्रभावशीलता में सुधार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को समाज के कमजोर कमजोर और लाभवंचित वर्गों के सशक्तिकरण का काम सौंपा गया है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, नशीली दवाओं के सेवन के पीड़ित, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ, भिक्षावृत्ति

भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, कूड़ा/कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लक्षित समूह हैं।

समाज के लाभवंचित वर्गों के लिए इस विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि या तो लाभार्थियों को सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से जारी की जाती है। धनराशि सीधे ही जिला प्रशासन को नहीं भेजी जाती है।

(ग): योजनाओं के अंतर्गत, निधियों के उचित उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस्तों में निधियाँ जारी की जाती हैं। विभाग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के उचित उपयोग की जाँच करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र अन्य पक्ष मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित करता है। इसके अलावा, योजनाओं के कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा भी की जाती है।

(घ): सामाजिक न्याय की योजनाएँ समाज के लाभवंचित वर्गों के लिए सार्वभौमिक होती हैं जो बड़े पैमाने पर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में रहते हैं। विभाग प्रधानमंत्री-अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) जैसी ग्रामीण विशिष्ट योजना भी लागू कर रहा है जिसके तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों को "आदर्श ग्राम" के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विभाग योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन योजनाओं को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट, ई-अनुदान पोर्टल, सोशल मीडिया चैनल, क्षेत्रीय सम्मेलन और रेडियो चैनल सहित विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करता है।

*****